## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1041/2021

अनवान : –

1. पार्वति पत्नी इन्दाज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।

– **वादी**

**बनाम्**

1. देवीलाल पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
4. दलिप कुमार इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
6. सावत्री पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
7. सिलोचना पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
8. हंसराज पुत्र केशुराम जाति जाट साकिन नथावानिया तहसील नोहर।
9. हरिसिंह पुत्र केशुराम जाति जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
10. रामपत पुत्री केशुराम जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>**

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक:– 29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नथवानिया तहसील नोहर के ख0न0 122 की कुल 1 बीघा भूमि जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 06.10.1979 को को वादिया के पति व उसके भाईयों के द्वारा भैराराम पुत्र धन्नाराम ने खरीद की थी वादीया को इस बात का इल्म नही था वादीया के पति का देहान्त हो चुका है तथा भैराराम का भी देहान्त हो चुका है उक्त वाद भूमि वादीया के पति व भाईयो द्वारा खरीद की गयी है। वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादिया ख0न0 122 की कुल 9.3570 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में 1 बीघा भूमि उनके नाम से कलमजन करवाकर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 के नाम 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ समय तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की तरफ से श्री मांगीराम देहडू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जाकर इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में से 1 बीघा भूमि वादीया के पति व भाई द्वारा खरीद की हुई है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। वादीया के पति द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.1979 को खरीद की हुई भूमि वादीया राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश हो चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 68/68 की कुल 13.5300 हैक्ट भूमि में से 10993/67650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि में से दिनांक 06.10.1979 को वादीया के पति व भाई द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति भैराराम द्वारा खरीद की हुयी है। वादीया बैयनामा द्वारा खरीद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 68/68 की कुल 13.5300 हैक्ट भूमि में से



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

10993/67650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1 बीघा भूमि कम की जाकर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 का 0.06325 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक को .06325 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1041 / 2021
अनवान : –

1. पार्वति पत्नी इन्दाज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. देवीलाल पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
4. दलिप कुमार इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
6. सावत्री पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
7. सिलोचना पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
8. हंसराज पुत्र केशुराम जाति जाट साकिन नथावानिया तहसील नोहर।
9. हरिसिंह पुत्र केशुराम जाति जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
10. रामपत पुत्री केशुराम जाति जाट साकिन नथवानिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 1041 सन 2021 निर्णय दिनांक** – 29/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 श्री मांगीलाल देहडू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 68 / 68 की कुल 13.5300 हैक्ट भूमि में से 10993 / 67650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1 बीघा भूमि कम की जाकर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 का 0.06325 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक को 0.06325 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर